

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
16/18/2025

रजिस्टर्ड नम्बर  
2025/24

प्रवेश तिथि  
07.01.2025

निर्णय दिनांक  
24.12.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

## बनाम

1. मुरली पुत्र सुलतान जाति चमार, नि० जाजोर तहसील अलवर राज०।


—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)  
भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:-

01-श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी



तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 (4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम जाजोर, तहसील व जिला अलवर की हाल आराजी खसरा नं. 282 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता दौराने बहस अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नं. 282 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जाजोर, तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का किथूर की रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काशत नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा राज० कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को हाल आराजी खसरा नं. 282 रकबा 1.27 हैक्टेयर वाके ग्राम जाजोर, तहसील व जिला अलवर की भूमि का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता दौराने बहस अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहास सुनी। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को कृषि कार्य हेतु किया गया था। पटवारी हल्का किथूर की रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 के अनुसार हाल आराजी खसरा नं. 282 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जाजोर, मौके पर चारदीवारी हो रही है। झाड़ियां व अन्य घास फूस उगी हैं तथा कुछ नीम के पेड़ हैं। चार दीवारी 10-15 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण किया जाना जाहिर आया। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि हाल आराजी खसरा नं. 282 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जाजोर, का मेव समुदाय द्वारा कब्रिस्तान के तौर पर उपयोग लिया जा रहा है। सघन झाड़ियां होने के कारण मौके पर कब्रे दिखाई नहीं दी हैं। मौके पर गैर-खातेदार मुरली पुत्र सुलतान जाति जाटव स्वयं उपस्थित मिला तथा आवंटन संबंधी दस्तावेजात उपलब्ध नहीं कराए गए। मौके पर गैर खातेदार का लगभग चालीस वर्षों से कब्जा काशत नहीं है। उक्त भूमि कृषि कार्य में उपयोग नहीं ली जा रही है।

मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट आवंटन की मूल शर्त "स्वयं काशत" की पालना नहीं की जा रही है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त विवादित हाल आराजी खसरा नं. 282 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जाजोर, मौके पर गैर खातेदार आवंटी का कब्जा नहीं

है एवं मेव समुदाय द्वारा कब्रिस्तान के रूप में उपयोग किया जा रहा है है। उक्त खसरे पर गैर-खातेदार का कब्जा-काश्त नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व (भूमि आवंटन) नियम, 1970 का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को जीवनयापन हेतु भूमि देना है, बशर्ते वे उस पर स्वयं काश्त करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। वे विवादित भूमि पर न तो स्वयं काश्त कर रहे हैं और न ही उनका मौके पर कब्जा पाया गया है। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार ने इसे आवंटित किया था। अतः प्रार्थी (तहसीलदार) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम जाजोर, तहसील व जिला अलवर स्थित हाल आराजी खसरा नं. 282 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि का आवंटन, जो अप्रार्थी/आवंटी (मुरली पुत्र सुल्तान जाति चमार नि0 जाजोर) के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थी के नाम से कलमजन कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)  
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज0)

(मुकेश कुमार कायथवाल)  
अतिरिक्त जिला न्यायालय (प्रथम)  
अलवर, (राज0)